पत्रांकः– वन भूमि–33 / 2021..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुबोध कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि.मी.) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि.मी.) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई पटना–II द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या–527(ई०) दिनांक–10.05.2019 द्वारा रक्षित वन (RF) रजौली वन्यप्राणी आश्रयणी के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना में 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

विषयाधीन पथांश झारखंड राज्य के कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से सटा हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतवेदित किया गया है कि उनके स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग से विमर्श के पश्चात स्पष्ट हुआ कि इस योजना का अंश भाग जो कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के क्षेत्राधीन पड़ता है, उसमें Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा की गयी है। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" संयुक्त बिहार के समय कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का ही भाग है। विषयांकित परियोजना प्रस्ताव पर बिहार राज्य वन्यप्राणी पर्षद् एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद् की स्वीकृति के उपरांत स्टेज–1 की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया है कि बिहार राज्य अंतर्गत पड़ने वाले "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में भी कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना वन्यप्राणी के सुरक्षा हेतु उचित होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर आश्रयणी के विकास पर खर्च करने की अनुशंसा किया गया है।

वन संरक्षक, गया द्वारा "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में या कम से कम बिहार –झारखंड बोर्डर (रतनपुर) से गोपालपुर 0.906 कि०मी० एवं गद्दीबोर से पररिया 5.151 कि०मी० के बीच अनिवार्य रूप से कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Floyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा किया गया है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाले 30 से०मी० से अधिक 981 वृक्षों में से 154 वृक्षों का परियोजना निर्माण के क्रम में पातन एवं 827 वृक्षों का पुर्नस्थापन प्रस्तावित है परन्तु प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर इस आशय की वचनबद्धता समर्पित नहीं है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 10.3680 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 20.736 हे0 अर्थात 22.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल नवादा के रजौली प्रक्षेत्र अन्तर्गत दिबौर पार्ट–1 (गोपालपुर आरक्षित वन) को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए तत्संबंधी टोपो सीट एवं Geo-referenced Map संलग्न है। विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में या कम से कम बिहार–झारखंड बोर्डर (रतनपुर) से गोपालपुर–0.906 कि०मीएवं गद्दीबोर से पररिया–5.151 कि०मी० के बीच अनिवार्य रूप से कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Flyover निर्माण के साथ पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
3. आश्रयणी अंतर्गत परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 10.3680 हेवन भूमि के लिये 6.26 लाख प्रति हे० के दर से (10.3680 X 6.26 लाख X 5) कुल रू० 3,24,51,840/– (तीन करोड़ चौबीस लाख एकावन हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली 10.3680 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नवादा वन प्रमंडलान्तर्गत 22.00 हे० दिबौर पार्ट– गोपालपुर आरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 44,41,408/– (चौवालीस लाख इक्तालीस हजार चार सौ आठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1168/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–33/2021....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/"परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई पटना–II को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–33/2021..510(ई)../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक......03/05/2021..............
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

3.5.21
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव